**दिनांक–03.11.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में प्रमंडल, मुगेंर अन्तर्गत सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के छूटे हुए टोलों में किये गए कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न है:–**

**Progress of Ongoing Water Supply Schemes LOT (PHED/PRD)**

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया के प्रखंड–अलौली अंतर्गत कंट्रोल पैनल एवं अन्य अवयवों का कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप कराने एवं Clear फोटोग्राफ्स MIS पोर्टल पर अपलोड कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, खगड़िया दिया गया। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

**अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, खगड़िया**

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा एवं मुगेंर के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर अपने कुल योजनाओं की संख्या का वास्तविक डाटा MIS पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

**अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, तेघड़ा/मुगेंर**

**Site/Land Availability Status LOT (PHED/PRD)**

- विभिन्न जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। जिन प्रमंडलों, में भूमि उपलब्धता से संबंधित समस्या है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि आगामी समीक्षा बैठक से पहले संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 15 दिनों के अन्दर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएँ।

**अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता**

**Electricity Bill Dues and payment Status (PHED)**

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विद्युत विपत्रों के बकाया राशि के विरूद्ध भुगतान की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर सहमंति प्रपत्र तैयार करते हुए बिजली बिल का भुगतान शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता**

**Electricity Consumer Mapped Summary (PHED/PRD)**

- योजनाओं के समीक्षा के क्रम में विद्युत मैपिंग के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। डुप्लीकेट प्रविष्टियों को मुख्यालय स्तर पर समन्वय स्थापित कर तुरंत हटाने और एक सप्ताह के अंदर मैपिंग का कार्य शत–प्रतिशत कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता**

**Inspection of Commissioned Schemes &ATR Upload**

- सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अगले सात दिनों के अंदर Inspection का कार्य पूर्ण करें।

**अनुपालन–संबंधित कार्यपालक अभियंता**

**CMO Surprise Inspection Summary**

- माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कराये जा रहे Surprise Inspection को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं को Functional रखने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र को दिया गया।

**अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता**

**CGRC-Grievance Pending & Disposal Status**

पेयजल संबंधित सभी लंबित शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अन्दर करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता को दिया गया। भविष्य में कोई भी शिकायत 7 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। पाइपलाइन लीकेज, लो–वोल्टेज और जलापूर्ति बाधित होने की शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए। जिलावार CGRC रिपोर्ट की नियमित समीक्षा किया जाय साथ ही ससमय निराकरण की कार्रवाई की जाय।

**अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता**

**Repair team and store mapping**

- सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर पंचायतवार रिपयेरिंग दल का मैपिंग से संबंधित कार्य को शत–प्रतिशत पूर्ण कर MIS पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

अन्यान्यः–

- मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र को निदेशित किया गया कि MIS Portal पर अपने क्षेत्रान्तगर्त सभी प्रमंडलों के जितने भी संवेदक पर पेनाल्टी लगाए गए हैं उन सभी का व्यक्तिगत रूप से टीम बनाकर समीक्षा कर लें। जहाँ–जहाँ भी मानक के अनुरूप सभी अवयव अधिष्ठापित नहीं किए गए हैं; उन संवेदकों पर पेनाल्टी लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर मानक के अनुसार सभी अव्यव अधिष्ठापित कराएँ और उसकी सूचना मुख्यालय को दें। साथ ही सभी अवयवों में अपेक्षित सुधार करायें। साथ ही पिछले सप्ताह में दिए गए निदेश के आलोक में कंट्रोल पैनल के इन्सटॉलेशन में अपेक्षित सुधार नहीं लाने के कारण संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का वेतन बंद करने हेतु अपने स्तर से पत्र निर्गत करते हुए उसके प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराएँगे।
- सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी अवयवों को मानक के अनुरूप अधिष्ठापित कर अच्छे एवं साफ फोटोग्राफ्स MIS पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र को निदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रमंडलों द्वारा Approved Drawing of Pipeline, earthing, Strata Chart एवं अन्य कार्य को मानक के अनुरूप MIS Portal पर 15 दिन के अंदर अद्यतन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित संवेदकों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि Trial Run Certificate एवं O&M Certificate केवल नए संशोधित फॉर्मेट में LOT के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं (PHED एवं PRD सहित) भरकर MIS Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

**अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता**

धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

05.11.26

**(संजीव कुमार)**
विशेष सचिव

ज्ञापांक– 14/वि0क0–101/25–933 /पटना,दिनांक– 06/11/26

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, प्रक्षेत्र/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुगेंर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुगेंर/बेगुसराय/तेघड़ा/जमुई/खगड़िया/लखीसराय एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.11.26

**(संजीव कुमार)**
विशेष सचिव

ज्ञापांक– 14/वि0क0–101/25–933 /पटना,दिनांक– 06/11/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/अपर सचिव/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण/दक्षिण बिहार/उत्तर बिहार/रूपांकण/यांत्रिक)/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/अधीक्षण अभियंता (जल गुणवत्ता) दक्षिण बिहार/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई॰टी॰मैनेजर/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.11.26

**(संजीव कुमार)**
विशेष सचिव

ज्ञापांक– 14/वि0क0–101/25–933 /पटना,दिनांक– 06/11/26

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

05.11.26

**(संजीव कुमार)**
विशेष सचिव